

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,  
सचिव।

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,  
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ)  
उ0प्र0, लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 24सितम्बर,2018

विषय-"एक जनपद एक उत्पाद" कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-103/एम0एस0एम0ई0/ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ/2018-19, दिनांक 17.7.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'एक जनपद एक उत्पाद' (ओ0डी0ओ0पी0) कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद' कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन वित्त पोषण हेतु सहायता योजना' संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

#### **1-योजना का वित्त पोषण:-**

- (1) योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
- (2) योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- (3) रू025.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- (4) रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया हैइ:अत:स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (5) रू0 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 20.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- (6) उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।
- (7) सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
- (8.) जनपदों से प्राप्त होने वाले आवेदनों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार लाभार्थियों की संख्या का अन्तर्जनपदीय समायोजन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग 30प्र0 कानपुर द्वारा किया जा सकेगा। किसी भी दशा में आवेदनों की स्वीकृति बजट की वित्तीय सीमा से अधिक नहीं की जाएगी। यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, 30प्र0 कानपुर का होगा।
- (9) कुल परियोजना लागत में पूँजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूँजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराए पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

## **2-पात्रता की शर्तें:**

- (1) आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- (2) शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
- (3) योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
- (4) आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- (5.) आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।
- (6) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
- (7) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (8) विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

### 3-आवेदन की प्रक्रिया:

- (1) लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, एवं परियोजना प्रपत्र समस्त आवश्यक/संगत अभिलेख सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को पावती प्राप्त करायी जाएगी।

### 4-चयन की प्रक्रिया:

- (1) लाभार्थी का चयन निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTEFC) के माध्यम से किया जाएगा:-
  - (क) जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष)
  - (ख) अग्रणी बैंक के जिला प्रबन्धक (सदस्य)
  - (ग) वित्त पोषण करने वाले प्रमुख बैंकों के जिला समन्वयक (सदस्य)
  - (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि (सदस्य)
  - (ङ) जनपद के चयनित उत्पाद से सम्बन्धित विभागीय अधिकारी (सदस्य)
  - (च) उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र (सदस्य सचिव/संयोजक)
- (2) उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सम्यक परीक्षण के उपरान्त टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।
- (4) टास्क फोर्स समिति द्वारा योजना की उपयोगिता, आर्थिक संभाव्यता (viability) इत्यादि बिन्दुओं के सम्यक परीक्षण के उपरान्त लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

### 5-वित्त पोषण की प्रक्रिया:

- (1) जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति के क्रमवार रजिस्टर में क्रमवार अंकित किया जाएगा एवं उक्तानुसार समिति के समक्ष रखा जाएगा।
- (2) साक्षात्कार हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाएगी।
- (3) लाभार्थी के चयन के उपरान्त 07 दिन के अन्दर लाभार्थी का आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जाएगा।
- (4) लाभार्थी का आवेदन पत्र बैंक शाखा में प्राप्त होने के 01 माह के अन्दर शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में बैंक शाखा द्वारा तत्काल जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को सूचित किया जाएगा।
- (5) बैंक शाखा से ऋण स्वीकृति के उपरान्त नये लाभार्थियों को न्यूनतम एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे-राजकीय पॉलिटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है; अतः,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संस्थान/RSETI/उद्यमिता विकास संस्थान इत्यादि के माध्यम से कराया जाएगा। पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएगा।

- (6) स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षणोपरान्त सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जाएगी।
- (7) प्रशिक्षण के उपरान्त 01 माह के अन्दर सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा ऋण की प्रथम किश्त लाभार्थी को वितरित कर दी जाएगी।
- (8) ऋण की प्रथम किश्त के वितरण के पश्चात 07 दिन के अन्दर वित्त पोषण करने वाली शाखा द्वारा वांछित मार्जिन मनी के दावे सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा दावा प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर मार्जिन मनी की धनराशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- (9) यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में TDR के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (10) लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने तथा किसी प्रकार का डिफॉल्ट न होने की दशा में 02 वर्ष के पश्चात मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित कर दिया जाएगा। समायोजन के पूर्व जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एवं सम्बन्धित बैंक के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी की परियोजना का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के पश्चात् ही उपलब्ध मार्जिन मनी की धनराशि को अनुदान के रूप में समायोजित किया जाएगा।
- (11) जान-बूझ कर किये गए ऋण दुरुपयोग की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को वापस कर दी जाएगी। यदि परियोजना दैवी आपदा अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण बंद हुई है तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा मार्जिन मनी को लाभार्थी के ऋण के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।
- (12) योजना के क्रियान्वन हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अंतर्गत ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि प्राप्त की जाएगी जिसे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त धनराशि राजकोष से आहरित कर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जाएगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया हैइ:अत:स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

## 6-विविध:

- (1) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु BLBC, DCC, DLRC तथा DLTC (जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी) द्वारा समीक्षा की जाएगी। राज्य स्तर पर SLBC द्वारा योजना की समीक्षा की जाएगी।
- (2) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं प्रदेश स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओडीओपीओ प्रकोष्ठ), उओप्रओ द्वारा की जाएगी।
- (3) योजना के कुल बजट की ओ प्रतिशतधनराशि लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कंटेनर्जेंसी के रूप में प्रयुक्त की जायेगी। इस हेतु वित्त विभाग की सहमति से अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- (4) योजनान्तर्गत किया जाने वाला व्यय बजट प्राविधान के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में बजट में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त देयतायें सम्बंधित वित्तीय वर्ष में सृजित नहीं की जाएंगी।
7. एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के सम्बंध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण माओ मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

कृपया, उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

भुवनेश कुमार  
सचिव।

संख्या- 861/18-4-2018 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उओप्रओ इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उओप्रओ इलाहाबाद।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उओप्रओ शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उओप्रओ।
5. समस्त जिलाधिकारी उओप्रओ।
6. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उओप्रओ लखनऊ।
7. अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, (ओडीओपीओ प्रकोष्ठ) निर्यात भवन लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उओप्रओ।
9. समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उओप्रओ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पन्ना लाल  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है। अतः, स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।